न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बागनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 47 / 2023 प्रार्थना—पत्र

जी.सी.एम.एस. नम्बर—2022 / 95

उनवान

1. श्री कालुलाल पुत्र भैरजी कलाल उम्र बालिग, जाति कलाल, निवासी ईसरवास रावाण तहसील सलुम्बर, जिला सलूम्बर (राज)

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

—विपक्षी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

—::निर्णय::—

दिनांक : 24/09/2025

उपस्थितिः श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता — प्रार्थी
पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा ईसरवास रावाण, पटवार मण्डल ईसरवास तह. सलुम्बर जिला उदयपुर में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की निम्नलिखित भूमि स्थित है जिसके नया खाता संख्या 10 व पुराना 12 है जिसके आराजी नम्बर 375 / 0.09, 379 / 0.15, 381 / 0.11 कुल किता 3 रकबा 0.35 हैक्टेयर लगानी 2.40 रु. स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी एकमात्र खातेदार होकर कब्जे काश्त है। प्रार्थी के उक्त स्वामित्व, आधिपत्य की वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम न होकर दादाजी का नाम अंकित हो गया है जबकि वास्तव में कालुलाल पिता भेरजी कलाल होना चाहिये था परन्तु राजस्व कर्मचारी की क्षणिक त्रुटी के चलते वर्तमान जमाबन्दी में कालुलाल पिता जगजी हो गया है जो कि केवल मात्र क्षणिक त्रुटी के चलते सेहवन से हुआ है। प्रार्थी एक सीधा सादा कृषक होकर कानुन की इतनी समझ नहीं रखता है जब प्रार्थी बैंक से लोन लेने गया तो उसे राजस्व दस्तावेज लाने को कहा गया जिस पर प्रार्थी द्वारा उसके स्वामित्व आधिपत्य की वर्तमान जमाबन्दी नकल निकालने पर ज्ञात हुआ कि वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता की बजाय पिता के स्थान पर दादा जगजी का नाम अकित हो गया है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम भेरजी है। प्रार्थी व उसके पिता के नाम से ईसरवास रावाण में उक्त जाति का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र में भूमिधारी तहसीलदार को आवश्यक पक्षकार बनाया है जिसमें प्रार्थना पत्र की प्रकृति होने से धारा 80 सीपीसी का 2 माह का नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः श्रीमान् न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के वर्तमान राजस्य रिकॉर्ड में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी कालुलाल पिता भेरजी कलाल अंकित कराये जाने का आदेश फरमावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर जिला –सलूम्बर
बजरिये:– श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या–47 / 2023

उनवान–श्री कालुलाल बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले.रे.एक्ट

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। विपक्षी पेरोकार सरकार की ओर से नायब तहसीलदार सलूम्बर हाजिर आये जिन्होने जवाब पेश किया कि नामान्तरण संख्या 86 मे विरासत से वादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हुआ है। नामान्तरण में पटवारी एवं भू–अभिलेख निरिक्षक की जांच अनुसार वादी के पिता का नाम भेरा सही दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 की खाता संख्या 35 मे वादी की जमाबंदी में वादी के पिता के स्थान पर दादा जगजी का नाम त्रुटिवश दर्ज हो गया है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वर्तमान राजस्य रिकॉर्ड में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में शुद्धि कर प्रार्थी का नाम कालुलाल पिता भेरजी कलाल अंकित कराये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार तहसीलदार की बहस अपने जवाब के अनुसार रही।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार के जवाब एवं नामान्तरण संख्या 86 तथा जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 की खाता संख्या 35 के अवलोकन से प्रार्थी के पिता के स्थान पर दादा जगजी का नाम त्रुटिवश दर्ज होना जाहिर होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत् इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर मौजा ईसरवास रावाण पटवार हल्का ईसरवास तहसील सलुम्बर जिला–सलूम्बर की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 में खाता नया संख्या–10 पुराना 12 आराजी नम्बर 375 / 0.09, 379 / 0.15, 381 / 0.11 कुल किता 3 रकबा 0.35 हैक्टेयर में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कालुलाल पुत्र जगजी के बजाय कालुलाल पुत्र भेरजी शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ निर्णय की एक प्रति तहसीलदार सलूम्बर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/09/2025 को सरेइजलास सूनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
जिला–सलूम्बर
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर